हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ

(तिथि 29 नवंबर 2025, समय 1305 (05 मिनट)

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों, नगरपालिका निकायों और जिला प्रशासन को 11 अगस्त, 22 अगस्त और 7 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आवारा कुत्तों, बेसहारा पशुओं के प्रबंधन और राजमार्गों तथा सार्वजनिक संस्थानों की सुरक्षा के संबंध में जारी किए गए आदेशों को तत्काल और कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए तालमेल के साथ कार्रवाई, तेजी से अनुपालन और सख्त क्षेत्रीय निगरानी आवश्यक है ताकि न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्य पूरा किया जा सके।

उन्होंने विभागों से अपील की कि वे सटीकता, सहानुभूति और पूरी जवाबदेही के साथ काम करें ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ पशु कल्याण के मानकों का भी पालन हो। नगरपालिका निकायों और ग्रामीण स्थानीय प्राधिकरणों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीसीटीवी निगरानी, चिकित्सा सुविधाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों से युक्त कम से कम 5,000 श्वानो को समायोजित करने में सक्षम बड़े श्वान आश्रय स्थल संचालित करें।

मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि नसबंदी, टीकाकरण, टैगिंग और नियमित पशु-चिकित्सा देखभाल पूरी तरह से पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुरूप हो। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड-कीपिंग सिस्टम अनिवार्य है।

उन्होंने हर जिले और स्थानीय निकाय को आवारा कुत्तों, कुत्ते के काटने, बचाव कार्यों और छोड़ने से संबंधित शिकायतों के लिए सातों दिन 24 घंटे सक्रिय हेल्पलाइन स्थापित करने को कहा ।

उन्होंने सड़कों पर आवारा पशुओ□की वजह से होने वाली दुर्घटनाओ□को रोकने के लिए सभी प्राधिकरणों को पुलिस थानों और जिला नियन्त्रण कक्षों से जुड़ी, चौबीसों घण्टे काम करने वाली हाइवे पेट्रोल टीमें तैनात करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, सड़क किनारे प्रमुखता से हेल्पलाइन नम्बर प्रदर्शित करने को कहा।

इसके अलावा, उन्होंने उपायुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों, डिपो और रेलवे स्टेशनों की पहचान में तेजी लाने और हर परिसर को चारदीवारी, कंटीली तार, गेट और आवश्यक संरचनात्मक सुरक्षा उपायों से युक्त करने के निर्देश दिए ।

****

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों से समय पर परीक्षाएँ आयोजित करने और उपाधियाँ तथा प्रमाणपत्र शीघ्र जारी करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि इसमें देरी से विद्यार्थियों के अवसरों का नुकसान होता है और उन्हें उपयुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण रोज़गार पाने में बाधा आती है। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी शैक्षणिक कैलेंडर में निर्दिष्ट समय पर परीक्षा आयोजित करने और परिणाम प्राप्त करने के हकदार हैं। आयोग ने कहा कि विद्यार्थी परिणाम घोषित होने के 180 दिनों के भीतर डिग्री प्राप्त करने के भी हकदार हैं। यह भी कहा गया है कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में आयोग दण्डात्मक कार्रवाई करेगा।

****

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने बताया है कि प्रसार भारती डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म पर प्रायोगिक योजना शुरू कर रहा है। इसके अन्तर्गत नए लोकप्रिय क्षेत्रीय भाषा के चैनल शामिल किए जाएंगे। मन्त्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य गैर-प्रतिनिधित्व वाले और कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों तक पहुंच को बढ़ाना है। मन्त्रालय ने बताया कि इस पहल में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, असमिया और उड़िया भाषाओ□ के क्षेत्रीय चैनलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

****

हरियाणा के खेल मन्त्री गौरव गौतम ने कल पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेल विभाग के सभी उच्च व जिला खेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में रोहतक और बहादुरगढ़ में हुए हादसे में खिलाड़ियों की मौत होने के मामले पर चर्चा की गई । बैठक से पहले खेल मन्त्री और सभी खेल अधिकारियों द्वारा दोनो हादसों में जान गंवाने

वाले खिलाड़ियों की आत्मा की शान्ति के लिए मौन रखा गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में खेल मन्त्री गौरव गौतम ने कहा कि आज समीक्षा बैठक में खेल नर्सरियों और स्टेडियम को लेकर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि 114 करोड रुपए रखरखाव के लिए दिए गए थे , उसकी स्टेटस रिपोर्ट ली गई है । ज्यादातर निविदाए लग चुकी हैं और काम भी शुरू हो चुके हैं और कुछ काम शुरू होने हैं।

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही जिला खेल परिषद में उपलब्ध राशि का बड़ा हिस्सा जिला स्तर के खेल मैदानों के कायाकल्प पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि सिर्फ तीन महीनों में इन प्रयासों के सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे।

खेल मन्त्री ने कहा कि यहा पर साधन खराब है उसकी रिपोर्ट भी माग्री गई थी और कुछ जगह से रिपोर्ट आई है कि 3 महीने में रखरखाव की शिकायत दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी के लिए मैदान में जा कर स्थिति को निरीक्षण करना अनिवार्य किया गया है।

रोहतक दुर्घटना में कमेटी गठित की गई है, पर इस बारे में अधिक जानकारी जल्द साझी की जाएगी।

****